

# मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2003 सत्र

## विनियोग कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 2003 (फाल्गुन 19, 1924)

समय 10.30 बजे बिन

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथक्कर: वितरित सूची में समिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

### 2. मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्नकागल

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री सोनेराम कुशावाह, सदस्य, दतिया स्थित मन्दिर में एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री रिक्मोहन सिंह, सदस्य, सतना जिले के रामनगर विकासखण्ड अन्तर्गत विधालयों हेतु व्यापक भूत्यों को वेतन न दिये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

### 4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री जगुल किशोर, सदस्य, सतना जिले के -

(क) ग्राम दुबहिया बमुरहिया-कोनी पहुंच मार्ग के नाले पर स्टापडेम-कम-काजवे बनाये जाने, तथा

(ख) ग्राम नारायणपुर के पास नाले पर स्टापडेम-कम-काजवे बनाये जाने,

(2) श्री अहिरलाल पर्वतलाल, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम खजरार के खरउआ नाले पर पुलिया-कम-स्टापडेम बनाये जाने,

(3) श्री गोरेलाल, सदस्य, पञ्च जिले के ग्राम मड़यन पायक रगीया के निकट पुलिया बनाये जाने, तथा

(4) श्री शेखर चौधरी, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के गोटेराव नगर में सिविल कोर्ट की स्थापना किये जाने,

के संबंध में याचिकाओं प्रस्तुत करेंगे।

### 5. शासकीय विधेयक कार्य

(1) श्री बिसाहुलाल सिंह, उर्जा मंत्री, मध्यप्रदेश उपकार (सेशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 12 सन् 2003) के पुरस्तापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुस्तापित करेंगे।

(2) श्री डोमनसिंह नगापुरे, वाणिज्यिक कर मंत्री, भारतीय स्टाप्प (मध्यप्रदेश सेशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 13 सन् 2003) के पुरस्तापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुस्तापित करेंगे।

### 6. वर्ष 2003-2004 के अनुबानों की मार्गों पर मतदान (क्रमांक)

निर्धारित समय

30 मि.

1 घन्टा

30 मि.

उठोग

30 मि.

1 घन्टा

30 मि.

1 घन्टा

(1) मांग संख्या - 07

(2) मांग संख्या - 44

(3) मांग संख्या - 15

मांग संख्या - 49

मांग संख्या - 62

मांग संख्या - 64

मांग संख्या - 79

(4) मांग संख्या - 11

(5) मांग संख्या - 33

मांग संख्या - 41

(6) मांग संख्या - 03

मांग संख्या - 04

मांग संख्या - 85

(7) मांग संख्या - 20

वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय।

उच्च शिक्षा।

अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनानान्तर्गत विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना विकास सिविल विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ

अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना विकास सिविल विदेशों से संबंधित व्यय।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय।

आदिम जाति कल्याण

आदिवासी क्षेत्र उपयोजना।

पुलिस

गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय  
स्थारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्रशासन के स्तरों का उत्तरान-पुलिस।

लोक स्वास्थ्य योग्यिकी।

भोपाल :

दिनांक : 9 मार्च, 2003

डॉ. प. के. पद्मास्ती

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा।